

लक्ष्मीनारायण बनाम जगदीश
 9/6/24

25/7/24 पंचायती पेश हुई। पी0ओ0 साहब
 उ० व० में त्यस्त है। अ
 प० न० नार दिनांक 16/8/24
 को पेश है।

16/8/24 पत्रावलपिष उरी वकील प्रार्थी है
 वदस प्रारखण्ड उरी वकील प्रार्थी है। प्रार्थी वकील
 वास्तु ठाहरा दिनांक 30/8/24 को पेश है।
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

30/8/24 पंचायती पेश हुई। वकील प्रार्थी उपखण्ड वकील
 प्रार्थी। प्रातिवादी सं० 1 ने अपनी कदम में प्रार्थना
 09 R13 CPC में अंगिका तथ्यो को देखते हुए प्रार्थी
 का प्रार्थना 09 R13 CPC को स्वीकार कर एक पक्षीय
 डिक्री को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया
 है। पंचायती व मूक वाद, रिकार्ड व तामील का,
 प्रार्थना 09 R13 CPC का आघोषान अवलोकन के
 व वकील प्रार्थी की कदम का मनन के लिए पूर
 एम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मूक वाद में
 वादीगण द्वारा न्यायालय से जारी रिकार्ड जल
 नोटिस व डाक घर को रिकार्ड रसीद दिनांक
 5/8/2022 पेश करने के उपरान्त प्रातिवादी की
 एक पक्षीय कार्यवाही (एक माह इन्तजार के पश्चात)
 दिनांक 22/9/2022 को की गई। प्रातिवादी बाबू
 रिकार्ड जल सूचना के अनुपस्थित रहे तथा प्रातिवादी
 सं० 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही विधि सम्मल
 को गई है। प्रातिवादी सं० 1 बाबू रिकार्ड सूचना
 के अनुपस्थित रहे हैं। इस लिए प्रार्थी का प्रार्थना
 09 R13 CPC स्वीकार किया जाता है। पंचायती
 जगमा से काग होकर वाद तामील दाक वकील प्रार्थी
 है। (पुनः पेश)

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1
 प्रार्थना पत्र संख्या - /2024
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

1 लक्ष्मीनारायण पि०मु० भूरा जाति अहीर आयु लगभग 80 वर्ष नि
 तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० ।
 —प्रार्थी,

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र स्व० श्री रामनारायण
- 2 रामकल्याण पुत्र स्व० श्री रामनारायण
- 3 नन्दकिशोर पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
- 4 रामजीलाल पुत्र स्व० श्री कानाराम
- 5 हनुमान पुत्र स्व० श्री कानाराम
- 6 मोहन पुत्र स्व० श्री कानाराम
- 7 कैलाश पुत्र स्व० श्री कानाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ग्वार ब्राह
 खेडी गोकूलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसील तहसीलदार तहसील सांगानेर जित

अप्रार्थी /

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908
 डिक्री को अपास्त किये जाने अन्तर्गत वाद संख्या 30/2019 ब
 गौरह बनाम लक्ष्मीनारायण गौरह बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
 89, 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमान,

प्रार्थी/प्रातिवादी संख्या एक की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधार पर

- 1 यह कि वादीगण/अप्रार्थीगण एक ता सात ने मान्य न्यायालय के स
 घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण
 नं० 770 रकबा 0.31 है०, खं० नं० 771 रकबा 0.44 है०, खं० नं० 775
 खं० नं० 776 रकबा 0.21 है०, खं० नं० 777 रकबा 0.21 है०, खं० नं० 7
 है०, वाके ग्राम ग्वार ब्राह्मणान पटवार हल्का खेडी गोकूलपुरा तहसील
 रिकार्ड खतेदार है। प्रातिवादी वर्तमान में खसरा नं० 746 से 756 व 7
 12 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर का खतेदार है। इस दावे में प्रातिवादी के
 जमीन ज्यादा लगी है वो तथा वर्तमान में प्रातिवादी के नाम दर्ज भूमि में
 747, 748, 751, 752 व 755 का प्रातिवादी के नाम दर्ज भूमि में दिखाये गये हैं जबकि वास्तव
 गलत तरीके से प्रातिवादी के नाम

लक्ष्मीनारायण